

(5)

**बिहार सरकार**  
**अभियोजन निदेशालय**  
**गृह विभाग**

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुरेश कुमार, प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा के विरुद्ध जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में आम लोगों से पैसे का लेनदेन करने के दृष्टांत प्रकाश में आए हैं, जो प्रथम दृष्टया इनके भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने का द्योतक है।

2. अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के आलोक में श्री सुरेश कुमार, प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला अभियोजन कार्यालय, लखीसराय निर्धारित किया जाता है।

3. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।

4. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कार्यालय से देय होगा।

**आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(आमिर सुवहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— अ0नि0(14)—04 / 2016.....862.....दिनांक—12/7/2016.....

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— अ0नि0(14)—04 / 2016.....862.....दिनांक—12/7/2016.....

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अभियोजन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला अभियोजन पदाधिकारी, लखीसराय/श्री सुरेश कुमार, प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

11.7.16